



2026:AHC: 10260

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट सी संख्या- 42751/2025

बेचन सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता	: आशीष कुमार, गिरीश सिंह
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	: भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 की ओर से नोटिस स्वीकार किया और प्रत्यर्थी संख्या 5 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी को सुना गया।

2- आज पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, प्रत्यर्थी संख्या 6 और 7 को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

3- याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ दायर किया है:-

"i. परमादेश की प्रकृति में एक रिट आदेश जारी करना, जो प्रत्यर्थी संख्या 2 को ग्राम महानपुर के लेखपाल और राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 03.11.2025 पर एक निश्चित समय-सीमा के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश दे, जैसा कि यह माननीय न्यायालय वाद के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित समझे।"

4- रिट याचिका में निहित संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता ने पहले रिट सी संख्या 28148 वर्ष 2025 (बेचन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व 6 अन्य) दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसका निस्तारण इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा निर्णय और आदेश दिनांक 21.08.2025 के माध्यम से किया गया था। आदेश इस प्रकार है:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"1. यह रिट याचिका निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ दायर की गई है;

i. परमादेश की प्रकृति में एक रिट आदेश जारी करें, जो प्रत्यर्थी संख्या 2 को ग्राम महानपुर, तहसील सदर, जनपद-जौनपुर में स्थित गाटा संख्या 274 क्षेत्रफल 0.527 हेक्टेयर पर एक निश्चित समय-सीमा के भीतर सरकारी मेढ़ का निर्माण करने का निर्देश दे, जैसा कि यह माननीय न्यायालय वाद के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित समझे, तथा कोई अन्य रिट आदेश या निर्देश जारी करना जैसा कि यह माननीय न्यायालय वाद के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित और उपयुक्त समझे।

ii. परमादेश की प्रकृति में एक रिट आदेश या निर्देश जारी करें, जो प्रत्यर्थी संख्या 3 को याचिकाकर्ता के दिनांक: 02.07.2025 के प्रत्यावेदन पर एक निश्चित समय-सीमा के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दे।"

2- यह तर्क दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के अंतर्गत एक आदेश पारित किया गया है, लेकिन निजी प्रत्यर्थी उक्त आदेश के अनुपालन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।

3- चूंकि मामले को लंबित रखने या निजी प्रत्यर्थियों को नोटिस जारी करने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा, इसलिए रिट याचिका का निस्तारण, प्रति-शपथ पत्र मांगे बिना, प्रवेश चरण पर ही किया जा रहा है, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 2 को याचिकाकर्ता के आवेदन पर आगे बढ़ने और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के अंतर्गत पारित आदेश का विधि के अनुसार अनुपालन करने का निर्देश दिया जाता है, जो अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से एक महीने की अवधि के भीतर हो, यदि कोई विधिक बाधा न हो।

4- उपरोक्त निर्देश के साथ, वर्तमान रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

5- उपरोक्त के अनुसरण में, आवश्यक कार्रवाई की गई है और स्थल ज्ञापन की प्रति रिट याचिका के अनुलग्नक-8 के रूप में संलग्न है।

6- यह तर्क दिया गया है कि उसके बाद फिर से निजी-प्रत्यर्थियों ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 22 के प्रावधान के अनुसार

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संबंधित लेखपाल के समक्ष शिकायत की गई। उक्त शिकायत पर 03.11.2025 को पहले ही रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है।

7- यह तर्क दिया गया है कि उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई है, इसलिए वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।

8- दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा उपरोक्त शिकायत पर शीघ्रता से आवश्यक कार्रवाई की जाए।

9- पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

10- पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से, वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण किया जाता है, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 3 अर्थात् तहसीलदार सदर, जनपद - जौनपुर को याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत पर, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो सप्ताह की अवधि के भीतर अत्यंत शीघ्रता से कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है, बशर्ते कि कोई विधिक बाधा न हो।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

16 जनवरी, 2026

स्वाति